

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शमस्वकप बनाम श्रीमती धाप्रू रुवर (वैया)

स मुकदमा प्रा.पग 111-128 नं 58 तन 2024

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज.

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील मे जारी हुए

3-21 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को प्रामन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 7-9-21 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

7/9/21
उपखण्ड अधिकारी राजकीय कार्य से भागित कर पत्रावली पदरिक्त है।
आतः पत्रावली दि 28.9.21 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

22/10/21 पत्रावली प्रशासन गावो के संग अगियान केम्पचापरास मे पेश हुई, अप्रार्थीगण के लग्न बाप शामिल प्राप्त हुए जिले शा.पठ किया गया। परवारी पयार हला श्री मांका रिपाट प्राप्त हुई जिसे शा.पठ किया गया। श्री मांका का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधीय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फलत शुमार होकर नम्बर से कम है।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गावों के संग अगियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 58/21 प्रा.पत्र

1- श्री रामसवरूप शाह 6/0 गमवालान शाह, देवपुरा निवासी-चांदरस तहसील

---प्राथी

बनाम

1- श्रीमती धाणु कंवर 4/0 अकरसिंह राजपूत निवासी-चांदरस तहसील (प्रा.पत्र) ---विपक्षीगण

(संबंधित प्रा.पत्र संख्या) (प्रा.पत्र)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 22-10-21

::आदेश::

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चांदरस पटवार हल्का चांदरस तहसील मांडल/में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नं. 2918/496 कुल किता 01 रकबा 0.0759 हेक्टेयर — स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 3.8.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा.111-128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चांदरस पटवार हल्का चांदरस तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 2918/496 कुल किता 01 रकबा 0.0759 हेक्टेयर — भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक चांदरस को 400/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुफ्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021
डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021